न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खानपुर जिला झालावाड़ (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी – श्री प्रमोदकुमार सिंघव आर.ए.एस.)

मिसल नं 0767/दावा/2019
दायरा दि0 16/01/2019

उनवान

श्रीमती कल्याणीबाई पत्नि नन्दकिशोर जाति मीणा निवासी चांदनियाखेड़ी तह0 खानपुर
— वादी

बनाम्

1. भंवरसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाड़ी तह0 खानपुर
2. कालूसिंह पुत्र चन्दनसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाड़ी तह0 खानपुर
3. धनसिंह पुत्र बहादुरसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाड़ी तह0 खानपुर
4. प्रवीणसिंह पुत्र धनसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाड़ी तह0 खानपुर
5. नन्दसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाड़ी तह0 खानपुर
6. लक्ष्मणसिंह पुत्र हमीरसिंह जाति राजपूत निवासी गुवाड़ी तह0 खानपुर
7. राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार साहब तह0 खानपुर

– प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 183, 188, 209 आर.टी.एक्ट 1955

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश धनौलिया अधिवक्ता – वादी

निर्णय

दिनांक 25/06/2019

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। वादी ने यह वाद धारा 183, 188, 209 आर.टी. एक्ट 1955 के अर्न्तगत इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम गुवाड़ी तह0 खानपुर की जमाबंदी सं0 2071–74 की खतोनी सं0 6 की ख0नं0 9/301 रकबा 7.00 बीघा, ख0नं0 78 रकबा 2.11 बीघा, ख0नं0 269/299 रकबा 6.00 बीघा कुल 3 किता रकबा 15.11 बीघा आराजी वादीया के खाते एवं कब्जे काश्त की है। वादीया ने सन् 2005 में ख0नं0 269/299 व 270 रकबा 6.00 बीघा खरीदी उसी समय 6.00 बीघा आराजी पर कब्जा प्राप्त किया और वादीया ने अपने खाते की आराजी की पूर्वी दक्षिणी मेड़ तक पत्थर की कोट कर दी और पूर्वी उत्तर मेड़ पर लकड़ी की बल्लियां लगा कर तार फेंसिंग करवादी तथा उत्तरी मेड़, पश्चिमी मेड़ व दक्षिणी मेड़ की तरफ भी सन् 2005 में ही तार फेंसिंग करवा कर बाउण्ड्री करवा दी और वादिया अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजी पर सन् 2005 से फसल तैयार करती चली आ रही है। वादीया के खाते की आराजी ख0नं0 269/299 के पूरब में प्रतिवादी के खाते की आराजी ख0नं0 270 व उत्तर की ओर 269 स्थित है। वादीया के खाते की आराजी ख0नं0 269/299 के उत्तरी दिशा व पूर्वी दिशा में जो तार फेंसिंग हो रही थी उसके लट्टे पुराने होने के कारण गल चुके और तार फेंसिंग टूट चुकी थी जिससे वादीया के खेत में मवेशियों के घूमने से फसल बर्बाद करते हैं। इसी कारण वादीया अपने खाते की उत्तरी पूर्वी मेड़ की तरफ नये लकड़ी के लट्टे गाड़कर नयी तार फेंसिंग करने लगी तो प्रतिवादीगण ने वादीया के लकड़ी के लट्टे उखाड़ फेंके और काम कर रहे मजदूर छोटूलाल मीणा, रामप्रसाद भी को गाली गलोच कर भगा दिया। वादीया के पति ने प्रतिवादीगण को ऐसा नहीं करने के लिये कहा तो वह लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुये। अब ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिवादीगण वादीया को अपने खाते की आराजी पर तार फेंसिंग नहीं करने देंगे जो गलत है, जबकि वादीया के खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण को तार फेंसिंग का काम रूकवाने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी वादीया की जमीन पर कब्जा करने की नियत है। यदि प्रतिवादीगण अपने मन्सूबों में कामयाब हो गये तो वादीया

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

को ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति द्रव्य में असंम्भव है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि वाद, वादीया के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्ध डिक्री फरमाया जावे कि ग्राम गुवाड़ी की ख0नं0 269/299 रकबा 6.00 बीघा की उत्तरी दिशा व उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ तार फेंसिंग करने में प्रतिवादीगण कोई रूकावट पैदा नहीं करें। अन्य न्यायोचित सहायता जो माननीय न्यायालय उचित समझें वह भी दिलायी जावे।

वाद, दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतियादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी 1 लगा0 6 की ओर से श्री भूपेंद्रसिंह हाड़ा एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश कर जवाब का अवसर चाहा गया, जो उनको दिया गया। अधिवक्ता प्रतिवादी ने पर्याप्त अवसर के बाद भी जवावदावा पेश नहीं किया। दिनांक 13.06.2019 को प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 व उनके अधिवक्ता के न्यायालय में उपस्थित नहीं होने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी तथा अधिवादी वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। अधिवक्ता वादी ने अपनी साक्ष्य में वादनी कल्याणीवाई व गवाह नंदकिशोर मीणा के बयान कराये तथा दस्तावेज लगा0 प्रदर्श कराये गये। तत्पश्चात अधिवक्ता अधिवक्ता वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी एक पक्षीय बहस में वाद पत्र को दोहराते हुये प्रकट किया कि ग्राम गुवाड़ी तह0 खानपुर की जमावंदी सं0 2071–74 की खतोनी सं0 6 की ख0नं0 9/301 रकबा 7.00 बीघा, ख0नं0 78 रकबा 2.11 बीघा, ख0नं0 269/299 रकबा 6.00 बीघा कुल 3 किता रकबा 15.11 बीघा आराजी वादीया के खाते एवं कब्जे काश्त की है। सन् 2005 में हमने ख0नं0 269/299 की 6.00 बीघा आराजी खरीदी थी तब ही चारों तरफ बाउण्ड्री करवा ली थी किन्तु आराजी की उत्तरी दिशा व पूर्वी दिशा के लट्टे गल जाने से तार फेंसिंग टूट चुकी थी जिससे अवारा पशु फसल को बर्वाद कर रहे थे। इस कारण यहां पर नये लट्टे गाड़ने लगे तो प्रतिवादीगण ने लट्टे उखाड़ फेंके व मजदूरों को गाली गलोच कर भगा दिया। इनको ऐसा करने से मना किया तो यह लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुये। जबकि हमारे के खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण को तार फेंसिंग का काम रूकवाने का कोई अधिकार नहीं है। इनकी हमारी जमीन पर कब्जा करने की नियत है। यदि यह अपने मन्सूबों में कामयाब हो गये तो हमें ऐसी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति द्रव्य में असंम्भव है। इसलिये प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना अत्यन्त आवश्यक है। हमने राजस्व रेकार्ड की नकलें पेश की हैं तथा गवाहों के बयान कराये हैं, जिनसे हमारा दावा साबित है। अतः हमारा दावा डिक्री करें तथा प्रतिवादीगण को ऐसा नहीं करने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया एवं विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर मनन किया। वादनी का वाद है कि उसने उपरोक्त में से ख0नं0 269/299 रकबा 6.00 बीघा पर खरीद के समय ही पत्थरों का कोट व तार फेंसिंग कर बाउण्ड्री कर दी थी किन्तु उत्तरी दिशा व पूर्वी दिशा के लट्टे गल जाने से तार फेंसिंग टूट जाने से पुनः नये लट्टे गाड़ने लगे तो प्रतिवादीगण ने लट्टे उखाड़ फेंके व मजदूरों को गाली गलोच कर भगा दिया। इनको ऐसा करने से मना किया तो यह लड़ाई झगड़ा करने पर आमादा हुये। ऐसे में प्रतिवादीगण को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि यह वादी की आराजी पर उत्तरी दिशा व उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ तार फेंसिंग करने में कोई रूकावट पैदा नहीं करें। Exp1 ग्राम गुवाड़ी तह0 खानपुर की जमावंदी सं0 2071–74 की खतोनी सं0 6 है जिसमें ख0नं0 9/301 रकबा 7.00 बीघा, ख0नं0 78 रकबा 2.11 बीघा, ख0नं0 269/299 रकबा 6.00 बीघा कुल 3 किता रकबा 15.11 बीघा आराजी वादनी कल्याणीवाई पत्नि नन्दकिशोर जाति मीना निवासी चांदनियाखेड़ी के खाते दर्ज है। वादनी ने अपने वाद के समर्थन में स्वंय एवं गवाह नंदकिशोर के बयान कराये हैं जिसने वादनी का वाद साबित है। वहीं प्रतिवादीगण ने पर्याप्त अवसर के बाद भी जवावदावा तो पेश किया ही नहीं वहीं दि0 13.06.19 को जान बूझकर न्यायालय में उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई है, जिससे यही प्रकट होता है कि प्रतिवादीगण को वादी के वाद पर कोई आपत्ति नहीं है। यहां वादनी वादग्रस्त आराजी की रेकार्डेड खातेदार है, जिसे अपने खाते की आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner

बाउण्ड्री कर फसल की सुरक्षा करने का पूर्ण अधिकार है। उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादनी वाद में चाहा गया अनुतोष प्राप्त करने की अधिकारिणी है।

अतः वाद, वादी सावित होने से स्वीकार किया जाकर डिकी किया जाता है तथा प्रतिवादीगण 1 लगा0 6 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वह वादनी के खाते की ग्राम गुवाड़ी की ख0नं0 269/299 रकवा 6.00 बीघा आराजी की उत्तरी दिशा व उत्तरी पूर्वी दिशा की तरफ तार फेंसिंग करने में कोई रूकावट पैदा नहीं करें। खर्चा फरीकेन अपना-अपना वहन करेंगे। इस आशय का डिकी पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

निर्णय आज दिनांक 25/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
खानपुर जिला झालावाड़
(राजस्थान)

Scanned by CamScanner